भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1686
उत्तर देने की तारीख 10.03.2025

परम्परागत कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजनाएं

1686. श्री राजकुमार रोत :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा परम्परागत कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान में स्थापित कला केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की प्रसिद्ध तीर कमान, टेराकोटा कला, थेवा कला तथा प्रतापगढ़ जिले की मांडणा कला सहित अन्य कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कला केन्द्र/कला सर्किट स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का बांसवाड़ा की प्रसिद्ध तीर कमान, टेराकोटा कला, थेवा कला तथा प्रतापगढ़ की मांडणा कला को जी.आई. टैग देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें जी.आई. टैग कब तक प्रदान किया जाएगा और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर (राजस्थान) की स्थापना भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहित इसके सदस्य राज्यों की पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए की गई है। राजस्थान उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनजेडसीसी), पटियाला और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी), प्रयागराज का भी सदस्य राज्य है। ये जेडसीसी राजस्थान राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का नियमित आधार पर आयोजन करते हैं। राजस्थान राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों की पारंपरिक

कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए ये जेडसीसी अनेक स्कीमें भी कार्यान्वित करते हैं यथा युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार, गुरु-शिष्य परंपरा, रंगमंच नवीनीकरण, शोध और प्रलेखन, शिल्पग्राम, ऑक्टेव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

डब्ल्यूजेडसीसी, एनजेडसीसी और एनसीजेडसीसी अपने द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के दौरान राजस्थान सहित अपने सदस्य राज्यों के लोक कलाकारों को शामिल करते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भोजन और आवास, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान डब्ल्यूजेडसीसी, एनजेडसीसी और एनसीजेडसीसी द्वारा राजस्थान के लोक कलाकारों को प्रदान की गई अनुदान राशि निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**जेडसीसी का नाम**	**लोक कलाकारों की संख्या**	**राशि**
i.	डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर	4411	356.34 लाख रुपये
ii.	एनजेडसीसी, पटियाला	695	50.00 लाख रुपये
iii.	एनसीजेडसीसी, प्रयागराज	360	4.20 लाख रुपये

डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर; एनजेडसीसी, पटियाला और एनसीजेडसीसी, प्रयागराज को विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित अपने सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यकलापों के आयोजन के लिए जारी सहायता अनुदान निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**जेडसीसी का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
i.	डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर	653.92	1452.49	1280.10
ii.	एनजेडसीसी, पटियाला	530.76	276.51	1067.79
iii.	एनसीजेडसीसी, प्रयागराज	984.70	301.51	3553.24

संस्कृति मंत्रालय द्वारा गुरु-शिष्य परम्परा (रेपर्टरी अनुदान) स्कीम संचालित की जाती है जिसके अंतर्गत लोक कलाकारों के साथ-साथ मंच कला की सभी विधाओं जैसे संगीत समूहों, नृत्य समूहों, बाल रंगमंच सहित रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, गुरु (समूह का प्रमुख) के लिए सहायता राशि 15,000/- रुपये प्रति माह है और कलाकार की आयु के आधार पर शिष्य के लिए यह राशि 2,000-10,000/- रुपये प्रति माह है।

संस्कृति मंत्रालय सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजी) भी कार्यान्वित करता है, जिसके तहत संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, महोत्सवों, प्रदर्शनियों, विचारगोष्ठियों, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण के लिए संगठनों को

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत राजस्थान में स्थित संगठनों को जारी अनुदान निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	संगठनों की संख्या	राशि
i.	2021-22	33	63.81 लाख रुपये
ii.	2022-23	48	81.16 लाख रुपये
iii.	2023-24	58	82.28 लाख रुपये

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'' और ''समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस)'' का कार्यान्वयन करता है जो विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचनात्मक और तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से संपूर्ण सहायता भी प्रदान करता है जिसमें राजस्थान राज्य सहित देश भर के कारीगरों को लाभान्वित करने वाले पारंपरिक शिल्पों का संरक्षण और संवर्धन शामिल है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार 29 जनजातीय शोध संस्थानों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें उदयपुर (राजस्थान) स्थित संस्थान भी शामिल है, जो जनजातीय संस्थानों को सहायता की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिसका उद्देश्य जनजातीय शोध संस्थानों को अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने, शोध और प्रलेखन कार्यकलापों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय महोत्सवों के आयोजन, अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यात्राओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, जनजातियों के आदान-प्रदान दौरे भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि जनजातीय संस्कृति से जुड़ी प्रथाओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण और प्रसार किया जा सके।

(ख): पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर (राजस्थान), राजस्थान राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा करता है।

(ग) और (घ): अनुसंधान एवं विकास (राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम स्कीम का एक उप घटक) के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय जी.आई. शिल्पों (अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण सहित) के पंजीकरण में मदद/सहायता प्रदान करता है। राजस्थान की थेवा कला और मोलेला मिट्टी कला पहले ही जीआई-टैग के अंतर्गत पंजीकृत की जा चुकी है।

*****